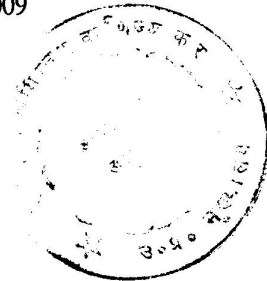


कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
प्रार्थी सर्वश्री मनीष इन्टर प्राइजेज, जी० एफ०, 49, देविका चैम्बर, आर० डी० सी०,  
राजनगर, गाजियाबाद।  
प्रार्थना पत्र संख्या 300 / 08  
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-300 / 08, दिनांक 16.6.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा ऐक्सल (Axles) पर कर की दर जाननी चाही है ?
  2. व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह उल्लिखित किया है कि मोटर पार्ट्स पर अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से करदेयता है, परन्तु मोटर कार में प्रयुक्त होने वाला एक पार्ट Axles केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत आयरन एण्ड स्टील के अन्तर्गत घोषित माल के रूप में वर्गीकृत है। अतः इस पर 12.5% की दर से करदेयता होगी या 4% की दर से करदेयता होगी।
  3. दिनांक 20.8.09 को व्यापारी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उनके द्वारा यह सूचित किया गया कि वह उपस्थित होने में असमर्थ है तथा उनके प्रार्थना-पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कर दिया जाय।
  4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 (IV) (XIV) के अन्तर्गत Iron and Steel के अन्तर्गत क्रमांक-(XIV) पर "Axle" को सम्मिलित किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-140 के अन्तर्गत Axles केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत घोषित वस्तु होने के कारण Axles पर 4% की दर से करदेयता होगी।
  5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
  6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।
- दिनांक 9, दिसम्बर, 2009



हस्ताक्षर  
प्रति

ह० /- 9.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।